

ढद 4 (1) (ख) - (X)

इसके विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार
पारिश्रमिक तंत्रप्रणाली सहित इसके प्रत्येक अधिकारी
और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

10 इसके विनियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार पारिश्रमिक प्रणाली सहित इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

कर्मचारियों को कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों के वेतनमानों (आईडीए पैटर्न) के अनुसार भुगतान किया जाता है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है-

1. पदों का वर्गीकरण

(कार्यपालक)

कार्यकारी निदेशक	62000 – 3%- 80000
महाप्रबंधक	51300 – 3%-73000
अपर महाप्रबंधक	51300 – 3%-73000
उप महाप्रबंधक	51300 – 3%-73000
मुख्य प्रबंधक	43200 – 3%-66000
प्रबंधक	36600 – 3%-62000
उप प्रबंधक	32900 – 3%-58000
सहायक प्रबंधक	29100 – 3%-54500
वरि.अभि./वरि.मा.सं.अधिकारी/वरि.लेखाधिकारी/वरि.अधिकारी	24900 – 3%-50500
अधिकारी/अभि./लेखाधिकारी	24900 – 3%-50500
सहायक अधिकारी	20600 - 3% - 46500
(गैर-कार्यपालक)	
वरि-ठ सहायक/लेखाकार/वरि-ठ वैयक्तिक सहायक और समकक्ष	10000-3.5% - 16000
सहायक/सहायक (लेखा)/संपर्क सहायक और समकक्ष	8600- 3.5% - 14920
उच्च श्रेणी लिपिक/लेखा क्लर्क/कंप्यूटर आपरेटर एवं समकक्ष	7300- 3.5% - 12660
अवर श्रेणी लिपिक/एससीडी/इलेक्ट्रीशियन/एसी मेकेनिक/डीएमओ (एसजी)	5800- 3% - 10790
चपरासी (सेलेक्शन ग्रेड) (श्रेणी - iv)	5000- 3% - 9590
चपरासी (श्रेणी - iv)	4400- 3% - 8430

* कार्यपालकों के वेतनमान अनंतिम हैं।

2. महंगाई भत्ता

➤ महंगाई भत्ते की दरें वर्-वर्ष में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से संशोधित की जाती है।

3. मकान किराया भत्ता:

शहरों/नगरों का संशोधित वर्गीकरण	मकान किराया भत्ते की दरें (संशोधित मूल वेतन का प्रतिशत)
एक्स (पहले ए-1 के रूप में वर्गीकृत)	30%
वाई(पहले ए, बी-1 और बी-2 के रूप में वर्गीकृत)	20%
जेड (पहले 'सी' के रूप में वर्गीकृत)	10%

टिप्पणी- तैनाती के पिछले स्थान पर कारपोरेशन का आवास/आवासीय व्यवस्था बनाए रखने अथवा पिछली तैनाती स्थान का मकान किराया भत्ता लेने की सुविधा दी जाती है परंतु यह सुविधा दो माह तक की अवधि के लिए तब दी जाती है जब तैनाती के नए स्थान पर कारपोरेशन द्वारा आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है और कर्मचारी पिछले स्टेशन पर आवास बनाए रखने के लिए कुछ खर्चा कर रहा है। यह सुविधा कारपोरेशन के सभी कर्मचारियों के लिए शैक्षिक सत्र की समाप्ति के बाद अथवा उस अवधि के बाद, जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है/अथवा उस नए स्टेशन का मकान किराया भत्ता लेने के बाद, जहां कर्मचारी स्थानांतरण पर अपने परिवार को शिफ्ट करना चाहता है, नहीं बढ़ाई जाएगी।

4. पट्टे पर लिया गया आवास

आरईसी के कार्यपालकों को सेल्फ लीज पर लिए गए/कंपनी द्वारा पट्टे पर लिए गए आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा पट्टे पर लिए गए आवास के मासिक किराए की अधिकतम राशि नीचे दिए अनुसार है:-

ग्रेड	शहरों का वर्गीकरण		
	शहर-दिल्ली(यूए*), ग्रेटर मुंबई(यूए), चेन्नई(यू ए), बेंगलूर(यूए), कोलकाता (यूए), हैदराबाद(यूए),	सभी भारतीय राजधानी राज्य राजधानी/नगर	भारत सरकार की सूची के अनुसार 'वाई' के रूप में वर्गीकृत अन्य सभी शहर
ई-1	20930	16280	11630
ई-2	21560	16780	11900
ई-2ए	22730	17680	12630
ई-3	24530	19080	13630
ई-4	26100	20300	14500
ई-5	27900	21700	15500
ई-6	29700	23100	16500
ई-7	30760	23910	17090
ई-7ए	31820	24740	17680
ई-8	32850	25550	18250
ई-9	36000	28000	20000

मकान किराया वसूली

ए- श्रेणी(ई-5 एवं ऊपर वालों के लिए)	रुपए 2750/- प्रतिमाह
सी- श्रेणी(ई-3 से ई-4 तक के लिए)	रुपए 2180/प्रतिमाह
बी- श्रेणी(ई-1 से ई-2ए तक के लिए)	रुपए 1780/प्रतिमाह

टिप्पणी-

सेल्फ लीज पर लिए आवास के अलावा कर्मचारी को आबंटित पट्टे पर लिए गए आवास को नीचे विनिर्दिष्ट कोई घटना होने पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सामान्य किराए का भुगतान करने पर उसके द्वारा बाद में बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि आवास की आवश्यकता कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिए है।

	वि-य	आवास बनाए रखने की स्वीकार्य अवधि
1	सेवानिवृत्ति	4 महीने
2.	मृत्यु	4 महीने
3.	मुख्यालय से बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरण	2 महीने
4.	कंपनी द्वारा प्रशिक्षण के लिए नियोजित करने पर	छुट्टी की पूरी अवधि
5.	किसी अन्य प्रकार की छुट्टी जिसके लिए मकान किराया भत्ते का पूरा भुगतान किया जाता है	छुट्टी की पूरी अवधि
6.	अध्ययन छुट्टी, यदि कोई हो (असाधारण छुट्टी को मिलाकर)	6 महीने, जिसमें विभिन्न प्रकार की वे छुट्टियां भी शामिल हैं जो अध्ययन छुट्टी पर जाने के समय कर्मचारी को देय है।
7.	चिकित्सा आधार पर छुट्टी (असाधारण छुट्टी को मिलाकर)	6 महीने, जिसमें विभिन्न प्रकार की वे छुट्टियां भी शामिल हैं जो चिकित्सा छुट्टी पर जाने के समय कर्मचारी को देय है।
8.	प्रतिनियुक्त कर्मचारी का मूल विभाग में प्रत्यावर्तन हो जाने पर	(i)दो महीने(यदि आरईसी में न्यूनतम एक वर्ग की सेवा की हो) (ii)एक महीने(यदि आरईसी में एक वर्ग से कम अवधि तक सेवा की हो) तथापि, बशर्ते कि जिस मामले में किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक स्थान से किसी दूसरे स्टेशन पर शैक्षिक सत्र के मध्य में कर दिया जाता है ऊपर(3)में उल्लिखित दो माह की अवधि को अपवादस्वरूप मामलों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शैक्षिक सत्र के समाप्त होने तक बढ़ाया जा सकता है, यदि उसके परिवार को शिफ्ट करने से उसके बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

5. अनुलब्धियां और भत्ते

बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों को 26.11.2008 से अनुलाभ और भत्ते स्वीकार्य होंगे। "सुविधा उपगम " के सिद्धांतों पर कार्यपालकों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे निर्धारित सेट या सुविधाओं में से किसी एक का चयन कर सकते हैं बशर्ते कि ये अनुलाभ भत्ते संशोधित मूल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।